

फर्द अहकाम
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
सुरेश सिंह बनाम लो.सू.अधि. नगर निगम, भरतपुर
किरम मुकदमा अपील RTI नम्बर 29 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
27.05.2025	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट सुरेश सिंह निवासी ए-4, रणजीत नगर, भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी नगर निगम, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p>	


जिला कलक्टर
भरतपुर

479
26/5
कापिल
लौटार